

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 979 दिनांक 20.2.2014

गत सभा दिनांक 6.2.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर / पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 980 दिनांक 20-02-2014

तिलक नगर मुक्तिधाम पर मस्टर श्रमिक की कार्य वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2792 दिनांक 10.02.2014 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रभारी की राय क्र. 39 दिनांक 11.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 163 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में एक दैनिक वेतन भौगी मस्टर श्रमिक की कार्य अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से चौकीदा/माली के कार्य हेतु कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1941-42

प्रतिलिपि:-

दिनांक 20.2.14

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 981 दिनांक 20-02-2014

मस्टर श्रमिकों की कार्य वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 948 दिनांक 11.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 372 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में एक कुशल श्रमिक तथा एक अकुशल श्रमिक की कार्य अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.20.2.14

क्रमांक 1943-44

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 982 दिनांक 20-02-2014

जनकार्य विभाग के कार्यरत 01 मस्टर श्रमिक की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 232/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 06.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 40 दिनांक 27-04-2013 के तारतम्य में जनकार्य विभाग में सिविल कार्यों के संचालन एवं संधारण कार्यों हेतु एक कुशल श्रमिक की समयावधि दिनांक 30-06-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जुलाई 2013 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1945-46

प्रतिलिपि:-

दिनांक 20.2.14

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 983 दिनांक 20-02-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत नेहरुपार्क तरण पुष्कर में कार्यरत 01 कुशल श्रमिक की समयावधि में वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 485/त.पु./14 दिनांक 19.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 337 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में नेहरुपार्क तरण पुष्कर में कार्यरत 01 कुशल श्रमिक (महिला तैराक शिक्षक) की समयावधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.20.2.14

क्रमांक 1947-48

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 984 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 15 पर जनकार्य संबंधी कार्यों हेतु 10 अस्थाई बेलदारों की निरंतर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 227/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 06.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 323 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में झोन क्रमांक 15 पर जनकार्य संबंधी कार्यों हेतु 10 दैनिक वैतन भोगी बेलदार कर्मचारियों की समयावधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1949-50

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 985 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 08 पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3769 दिनांक 18.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 323 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में विजय नगर, झोन क्रमांक 08 पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य हेतु कार्यरत 01 कुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की समयावधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1951-52

दिनांक..... 20.2.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 986 दिनांक 20-02-2014

झोन क्र. 12 वार्ड क्रमांक 64 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 05 सफाई श्रमिकों की कार्य वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3693 दिनांक 11.02.2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय क्र. 192 दिनांक 18.02.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 334 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में वार्ड क्रमांक 64 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 05 सफाई श्रमिकों की कार्य अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) अवधि 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1953-54

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 987 दिनांक 20.02.2014

आवारा श्वानों के नियंत्रण, नसबंदी करने बावत् निविदा स्वीकृति तथा ट्रेडिंग ग्राउण्ड स्थित रिक्त भवन का आवंटन एवं मरम्मत करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व चर्चा एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु द्वितीयवार दिनांक 24-01-2014 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार वेट्स सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर, सिकंदराबाद द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि 890/- प्रतिश्वान दर पर संस्था से संक्षेपिका/निविदा की शर्तों पर एक वर्ष तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. चर्चा के प्रकाश में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या एवं नागरिकों को काटने आदि की वर्तमान घटना से निपटने हेतु चूंकि एक संस्था के माध्यम से आवारा श्वानों पर शीघ्र नियंत्रण किया जाना संभव नहीं होने से वर्तमान स्थिति के निदान हेतु जनहित में उक्त स्वीकृत निविदा दर पर अन्य संस्थाओं/एन.जी.ओ. से भी संक्षेपिका/निविदा में उल्लेखित शर्तों पर एक वर्ष तक कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है, इस हेतु प्रभारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति एवं अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1955-56

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 988 दिनांक 20-02-2014

स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी (सिविल एवं मैकेनिक) कार्यों के सम्पादन के संबंध में आयुक्त के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 10-02-2014 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की बैठक दिनांक 11-02-2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के आदेश एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र में दर्शाई स्थिति व चर्चा एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी (सिविल एवं मैकेनिक) कार्यों सुचारू सम्पादन हेतु 50 छोटे वाहन, 15 रोबोट मशीन, 02 कॉम्पेक्टर वाहन (8 टन क्षमता के) 04 श्वान वाहन क्रय करना, कचरा घरों का निर्माण, ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण, 09 स्थानों पर वार्ड ऑफिस का निर्माण, लैंडफिल ऑपरेशन एण्ड मेटेनेंस के कार्य, गौशाला एवं नांदी फाउंडेशन पर बीओटी के आधार पर 02 बायोगैस प्लांट का निर्माण करने हेतु निविदा बुलाने की सैद्धांतिक सहमति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1957-58

दिनांक20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 989 दिनांक 20-02-2014

मस्टर श्रमिक की कार्यवृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 949 दिनांक 11.2.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 371 दिनांक 7.8.13 के तारतम्य में परिषद कार्यालय में कार्यरत एक कुशल श्रमिक की कार्य अवधि दिनांक 31.12.13 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस हेतु जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1959-60

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 990 दिनांक 20-02-2014

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के लिये अनुग्रह राशि अनुदान स्वीकृति करने / भुगतान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 20-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व चर्चा एवं अनुशांसा के प्रकाश में म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-11/13/नियम/चार भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2013 के प्रावधान अनुसार तथा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 दिनांक 01-01-2006 में प्रभावशील होने से शासन निर्देशानुसार म. प्र. शासन के कर्मचारियों के अनुरूप निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सफाई संरक्षकों को शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के बेण्ड वेतन में वेतन तथा ग्रेड-पे के योग के छः गुना के बराबर अधिकतम राशि रूपये 50,000/- (अक्षरी-पचास हजार मात्र) की सीमा तक संशोधित अनुग्रह अनुदान राशि दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से प्रभावशील करने एवं भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1961-62

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 991 दिनांक 20-02-2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 239/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के अनुलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2013 - 2014 में विभिन्न बजट मदों में प्राप्त प्रस्तावों के कारण राशि की कमी को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न मद (कॉलम नं. 5) में उल्लेखित राशि (कॉलम नं. 8) अनुसार अन्तरित (पुनर्विनियोग) करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु. क्र.	बजट मद का नाम एवं एन.एम.ए.एम. कोड जिससे से राशि अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाना है।	प्राप्त राशि	से	बजट मद में राशि अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाने वाली राशि है।	बजट मद का नाम एवं एन.एम.ए.एम. कोड जिससे राशि अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाना है।	बजट मद में अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाने वाली राशि है।	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4102011	भ्रमण का परिसंयोजन एवं विकास	1000.00	200.00	4103001	श्रीमता सरकारी का कोमिटीकरण	700.00
1	4102038	राज्यीय अनास योजना पर व्यय	1200.00	800.00	4108052	राष्ट्रीय महि/अ.ज.ज./के.जे. का विकास	200.00
2	4102038	सा स्तम्भ का निर्माण	500.00	200.00	4103038	राष्ट्रीय महि/राज्यीय कार्य /मिच्छी बसिने में सरकारी व अनास पर व्यय	300.00
3	4103087	रिपेयर के विकास	300.00	100.00	2305002	सरकारी का संभरण	100.00
4	4103005	पुनर्वासि का विकास	500.00	200.00	2303089	सर्वेक्षण/सड़कों के विनारे संभरण कार्य /पेडर स्टॉक इत्यादि	300.00
			3500.00	1500.00		कुल योग	1500.00

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1965-66

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 992 दिनांक 20.02.14

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती पुजा कुशवाह पति स्व.नारायण कुशवाह पता 184, छोटी खजरानी इंदौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,000/- (अक्षरी रू. दो हजार रू.)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " ज्ञानोदय विद्यालय " के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 1967-68

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 993 दिनांक 20.02.14

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक करण मोटवानी पिता श्री संजय मोटवानी पता 186 जनता क्वार्टर इंदौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,000/- (अक्षरी रू. दो हजार रू.)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " **पिंक फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय** " के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 1969-70

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 994 दिनांक 20.02.14

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती पुजा कुशवाह पति स्व. नारायण कुशवाह पता 184, छोटी खजरानी इंदौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,500/- (अक्षरी रू. दो हजार पाँच सौ रू.)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " **पिंक फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय** " के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 1965-66

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर



मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 995 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 50 के अन्तर्गत देवनगर कालोनी से तीन इमली चौराहा तक 450 एम.एम. डायल की ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3744 दिनांक 13-02-2014 पर प्रभारी जनकार्य समिति की राय क्रमांक 196 दिनांक 18-02-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,42,660/- की दिनांक 29-08-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म पुनम इंटरप्राईजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 14.50 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 14,22,777/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार निविदा दर एवं वित्तीय स्वीकृति की जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "नई सीवर लाईन डालना" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1973-74

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।

2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 996 दिनांक 20-02-2014

नवीन लायर्स पेनल के संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 17.02.2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त एवं चर्चा के प्रकाश में सदर प्रकरण में नियमानुसार निर्णय हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1975-76

दिनांक 20.02.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।

2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 997 दिनांक 20-02-2014

राजस्व विभाग में दैनिक वेतन पर मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 16.01.14 पर प्रभारी राजस्व समिति की राय क्रमांक 135 दिनांक 21-01-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 225 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में कार्यरत 19 मस्टर कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल श्रमिक) एवं 01 अकुशल मस्टर श्रमिक इस प्रकार कुल 20 मस्टर श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लेने की अवधि वृद्धि की जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक. 20.2.14

क्रमांक 1977-78

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 998 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 के अन्तर्गत विष्णुपुरी कालोनी मेन में स्थित पुरानी पानी की टंकी वाला सार्वजनिक ओपन मैदान (बगीचा) की कम्पाउण्ड वाल का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 241/सीई/बिलस/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 24,44,300/- की दिनांक 21-10-2013 को प्राप्त एक निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादाता मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 2.64 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 64,529/- सहित कुल आकार राशि रूपये 25,08,829/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1979-80

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 999 दिनांक 20-02-2014

प्राणी संग्रहालय में कार्यरत 02 कुशल + 15+3 कुल 20 मस्टर दैनिक वेतन भौगियों की अवधि वृद्धि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1167/प्राणी संग्रहालय दिनांक 19-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 630 दिनांक 07-08-2013 के द्वारा 02 कुशल श्रमिक एवं संकल्प क्रमांक 199 दिनांक 07-06-2013 के द्वारा 03 अकुशल श्रमिक (बोने) तथा संकल्प क्रमांक 453 दिनांक 07-08-2013 के तारतम्य में 15 अकुशल श्रमिक इस प्रकार कुल 20 मस्टर श्रमिक (02 कुशल श्रमिक व 18 अकुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 31-12-2013 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. 01 (एक) दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिक द्वारा अपनी स्वेच्छा से कार्य छोड़ने की स्थिति में उक्त श्रमिक के स्थान पर प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की अनुशंसा अनुसार कार्य पर रखे गये 01 (एक) मस्टर श्रमिक की पुष्टि की जाती है।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1981-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1000 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 12 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 03 सफाई श्रमिकों की कार्य वृद्धि दिनांक 01-01-14 से 29-29 दिवस जारी रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 11-02-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 194 दिनांक 10-02-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 178 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 03 मस्टर श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 31-12-2013 से दिनांक 31 जुलाई 2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 20-02-14

क्रमांक 1981-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1001 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 8 वार्ड क्रमांक 39 बापू गांधी नगर नर्मदा टंकी के पास शिव कान्वेंट स्कूल तक सड़क का सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 243/सीई/बिल्स/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 34,80,000/- के कार्य की दिनांक 21-10-2013 को प्राप्त एक निविदा में निविदा निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स परमेश्वरी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 2.70 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 93,960/- सहित कुल आकार राशि रूपये 35,73,960/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1985-86

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1002 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 12 हाथीपाला पुल के पास नाले किनारे आर.सी.सी. रिटेनिंग वाल का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 245/सीई/बिलस/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 21,48,115/- की दिनांक 16-04-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादाता मेसर्स संजर कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 25 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 5,37,028/- सहित कुल आकार राशि रूपये 26,85,143/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1987-88

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1003 दिनांक 20-02-2014

पूर्वी रिंगरोड निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक व चन्द्रगुप्त मोर्य चौराहे से बापट चौराहे तक की सडक का डामरीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 215/सीई/बिल्स/13-14 दिनांक 06-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 16,93,00,000/- की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1989-90

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1004 दिनांक 20-02-2014

राज्य शासन के आदेशानुसार नगर निगम, इन्दौर के समस्त पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2013 से 90 प्रतिशत दर से महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 5430 दिनांक 21-01-2014 पर प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 3910 दिनांक 30-01-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एक 9-5/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 03-10-2013 के द्वारा राज्य शासन के समस्त पेंशनरों को 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत अर्थात् 10 प्रतिशत वृद्धित महंगाई भत्ते का लाभ दिये जाने के क्रम में शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त पेंशनरों को 1 जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक एरियर राशि की भुगतान की स्वीकृति एवं पेंशनरों को किये गये महंगाई राहत भुगतान की पुष्टी की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 1991-92

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1005 दिनांक 20-02-2014

पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रायवेट टैंकर लगाये जाने के लिए वार्षिक दरों के निर्धारण हेतु वर्ष 2014-15 की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3130 दिनांक 2-1-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 146 दिनांक 8-1-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2014-15 हेतु पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रायवेट टैंकर लगाये जाने के लिए वार्षिक दरों के निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण की स्वीकृति निम्नानुसार दी जाती है :-इसमें होने वाला बजट मद " जलनिवारणार्थ वाटर टैंकर किराया " में से होगा।

- 1- वाटर टैंकर 25,000 लीटर क्षमता का 5 एच.पी. इंजन पंप सहित डीजल सहित प्रतिदिन प्रति टैंकर।
- 2- वाटर टैंकर 20,000 लीटर क्षमता का 5 एच.पी. इंजन पंप सहित डीजल सहित प्रतिदिन प्रति टैंकर।
- 3- वाटर टैंकर 12,000 लीटर क्षमता का 5 एच.पी. इंजन पंप सहित डीजल सहित प्रतिदिन प्रति टैंकर।
- 4- वाटर टैंकर 12,000 लीटर क्षमता का डीजल एवं 5 टोटी सहित प्रतिदिन प्रति टैंकर।
- 5- ट्रेक्टर वाहन 5,000 लीटर क्षमता का डीजल सहित प्रतिदिन प्रति टैंकर।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1993-94

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 995

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1006 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 45 के अन्तर्गत राम मंदिर बड़ी ग्वाल टोली व्यायामशाला में प्रथम मंजिल का निर्माण करने एवं अन्य शेष निर्माण पूर्ण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 244/सीई/बिल्स/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 21,16,000/- के कार्य की प्रस्ताव तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा दर आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1995-96

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1007 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 54 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 02 सफाई श्रमिकों की कार्य वृद्धि दिनांक 01-01-14 से 29-29 दिवस जारी रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3692 दिनांक 11-02-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 193 दिनांक 18-2-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 198 दिनांक 07-06-2013 के तारतम्य में ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्यरत 02 मस्टर श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अवधि दिनांक 31-12-2013 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 01-01-2014 से दिनांक 31.07.2014 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 20.02-14

क्रमांक 1997-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1008 दिनांक 20.02.2014

प्रोजेक्ट-उदय के अंतर्गत कन्सलटेन्ट मैसर्स शाह टेक्नलकल, इन्दौर की सेवाएँ माह जनवरी 2014 से जून 2014 तक के लिए बढ़ाये के संबंध में आयुक्त, पत्र क्र. 204/पी.एम./पी.आय.यू. दिनांक 25.01.2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में आयुक्त द्वारा माह जून 14 तक कंसलटेंट की सेवाएं लेना बताया जाने से कन्सलटेन्ट मैसर्स शाह टेक्नलकल, इन्दौर की सेवाएँ माह जनवरी 2014 से जून 2014 तक के लिए बढ़ाये जाने एवं छः माह में लगने वाली शेष अंतर की लगभग राशि रुपये 92.92 लाख (124.11-31.19) का भुगतान निगम मद से किये जाने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्ण मुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम

पृ. क्रमांक 1999-2000

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपि :-

आयुक्त

रेसीडेन्ट आडिटर,

सूचना एवं प्राद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि., इन्दौर

लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि., इन्दौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1009 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 64 जबरन कालोनी तीरथबाई कलाचन्द्र स्कूल के पीछे से जबरन कालोनी होते हुए आलापुरा तक आर.सी.सी. ओपन नाले का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 240/सीई/बिलस/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार सदर प्रकरण में निगोिएशन किये जाने हेतु प्रभारी, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। श्री पी.सी.जैन, अधीक्षण यंत्री, सदस्य, श्री हरभजन सिंह नगर शिल्पज्ञ सदस्य एवं श्री अशोक राठौर, नगर शिल्पज्ञ, समिति सचिव।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक 2001-02

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1010 दिनांक 20-02-2014

मुक्तिधाम रामबाग के डीजल शवदाह गृह के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 236/सीई/बिल्स/13-14 दिनांक 06-02-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 1096 दिनांक 27-03-2007 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 826 दिनांक 21-03-2013 की दी गई स्वीकृति के क्रम में मेसर्स चिरंतन सर्विसेस-ठाणे (मुंबई) से दिनांक 31-03-2013 तक दी गई स्वीकृति समाप्त होने से कार्य आवश्यक एवं औचित्य के आधार दिनांक 31 मार्च 2014 तक कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2003-04

दिनांक 06-02-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1011 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 16 के अन्तर्गत जूना रिसाला स्थित वाल्मिकी समाज के सामुदायिक भवन के प्रथम मंजिल पर हॉल व लेट्रीन बाथरूम का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 242/सीई/बिलस/13-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,14,217/- की दिनांक 08-01-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादाता मेसर्स बाजपेयी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत दर राशि रूपये 10 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 91,421/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,05,638/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2005-06

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1012 दिनांक 06-02-2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1156/प्र.संग्र/2013-14 दिनांक 18-02-2014 पर विचार किया गया ।

2. वित्तीय वर्ष 2013-2014 में प्राणी संग्रहालय के बजट मद क्रमांक "2305109" "प्राणी संग्रहालय का रख रखाव" मद में राशि की कमी होने से (कॉलम नं. 4) में लगने वाली राशि की आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुवे (कॉलम नं. 7) में उल्लेखित राशि रुपये 10.00 का पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु. क्र.	बजट मद का नाम जिसमें राशि अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाना है।	बजट प्रावधान राशि रुपये वर्ष 2013-14	बजट में अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाने वाली राशि	बजट मद का नाम जिसमें से राशि अन्तरित की जाना है।	बजट प्रावधान राशि रुपये वर्ष 2013-14	बजट मद में से अन्तरित (पुनर्विनियोग) की जाने वाली राशि है।
1	2	3	4	5	6	7
1	2305109 "प्राणी संग्रहालय का रख रखाव"	30.00	10.00	4102016 जानवर घरों (एकवेरियम) के निर्माण पर व्यय	50.00	10.00
		<b>योग-</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2007-08

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1013 दिनांक 20-02-2014

नर्मदा तृतीय चरण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित जल शुद्धिकरण संयंत्र के वार्षिक संचालन एवं संधारण कार्य वर्ष 2014-15 के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19.02.2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2014-15 में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 76,16,000/- की दिनांक 25-01-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स चीमा टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि. पुणे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 4.15 प्रतिशत कम की राशि रहित कुल आकार राशि रूपये 72,99,989/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2009-10

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1014 दिनांक 20-02-2014

नर्मदा तृतीय चरण परियोजना के अन्तर्गत विलयर वाटर तीन पंपिंग स्टेशनस प्रत्येक क्षमता 360 एम.एल.डी. एवं सर्जव्हिसल के वार्षिक संचालन एवं संधारण कार्य वर्ष 2014-15 के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 19.02.2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2014-15 में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,49,28,000/- की दिनांक 25-01-2014 को प्राप्त तीन निविदा में समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स चीमा टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि. पुणे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 0.92 प्रतिशत कम की राशि रहित कुल आकार राशि रूपये 1,47,89,999/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2011-12  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1015 दिनांक 20-02-2014

नर्मदा तृतीय चरण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित रॉ वाटर पम्प के वार्षिक संचालन एवं संधारण कार्य वर्ष 2014-15 के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 19.02.2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2014-15 में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 62,49,000/- की दिनांक 25-01-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स चीमा टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि. पुणे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 6.38 प्रतिशत कम की राशि रहित कुल आकार राशि रूपये 58,50,000/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2013-14  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1016 दिनांक 20-02-2014

नर्मदा तृतीय चरण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 132/33 के.व्ही., 33/6.6 के.व्ही., 33/11 के.व्ही., 33/0.433 के.व्ही., विद्युत उपकेन्द्र के वार्षिक संचालन एवं संधारण कार्य वर्ष 2014-15 के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 19.02.2014 पर जलकार्य प्रभारी की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2014-15 में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,35,85,000/- की दिनांक 25-01-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स चीमा टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि. पुणे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 5.78 प्रतिशत कम की राशि रहित कुल आकार राशि रूपये 1,27,99,800/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2015-16  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1017 दिनांक 20-02-2014

अन्नपूर्णा रोड पर स्थित गिट्टी खदान तालाब में सौन्दर्यीकरण करने, रेलिंग लगाने एवं स्टोन पिचिंग करने व नाला निर्माण करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 3798 दिनांक 20.02.14 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल क्रमांक 856 दिनांक 06.02.2014 के क्रम में निगोसिएशन समिति की राय क्रमांक 01 दिनांक 19-02-2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 55,77,614/- की दिनांक 26-04-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं में निगोसिएशन समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म/मेसर्स चंद्रभान आयलदास हरियाणी, 562, उषानगर, इन्दौर की निगोसिएटेट दर 11 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 6,13,538/- सहित कुल राशि रूपये 61,91,152/- पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "प्राकृतिक अन्नपूर्णा खदान का सौन्दर्यीकरण करना" में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 2017-18

दिनांक. 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1018 दिनांक 20-02-2014

शहर के प्रमुख मुख्य मार्गों पर यातायात संकेतक बोर्ड लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 248/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 19.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 9,92,000/- की दिनांक 17-10-2013 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स दिक्षा कंसट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 9.50 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 94,240/- सहित कुल आकार राशि रुपये 10,86,240/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, प्रशासकीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2019-20  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 20.2.14

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1019 दिनांक 20-02-2014

बियाबानी मेनरोड पर स्थित कब्रस्तान से एप्रोच मार्ग का निर्माण करना, टायलेट ब्लॉक का निर्माण करना व अन्य आवश्यक कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 246/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 19.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 20,40,000/- की दिनांक 18-12-2013 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स शिवकृपा इंजीनियरिंग द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 8.50 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 1,73,400/- सहित कुल आकार राशि रूपये 22,13,400/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, प्रशासकीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक. 20.2.14

क्रमांक 2021-22  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1020 दिनांक 20-02-2014

झोन क्रमांक 13, 14, 15 के उद्यानों के विकास हेतु सार्वजनिक नलकूप खनन करने बावत आयुक्त का पत्र क्रमांक 414 दिनांक 21-05-2013 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 30 दिनांक 27-5-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 24,23,404/- की दिनांक 18-03-2013 को प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स हुलास जैन बिल्डकॉन, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम राशि रूपये 3.5 प्रतिशत कम घटाकर प्रस्ताव अनुसार कुल राशि रूपये 23,38,585/- के कार्य की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "नलकूप खनन एवं मोटर पंप स्थापना" में से होगा। नलकूप खनन के लिये उद्यानों के चयन हेतु महापौर को अधिकृत किया जाता है।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2023-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1021 दिनांक 20-02-2014

शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जल समस्या निवारण हेतु सार्वजनिक नलकूप खनन करने बावत आयुक्त का पत्र क्रमांक 413 दिनांक 21-05-2013 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 33 दिनांक 27-05-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक 18,00,000/- की दिनांक 18-03-2013 को प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दर दाता मेसर्स हुलास जैन बिल्डकॉन, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 3.1 प्रतिशत कम की राशि घटाकर कुल राशि रुपये 17,44,200/- की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "नलकूप खनन एवं मोटर पंप स्थापना" में से होगा। नलकूप खनन करने के लिए स्थानों के चयन हेतु महापौर को अधिकृत किया जाता है।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2023-24

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1022 दिनांक 20-02-2014

सरवटे बस स्टेण्ड भवन में रिपेयरिंग परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 247/सी.ई./बिल्स/13-14 दिनांक 19.02.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 22,70,000/- की दिनांक 06-02-2013 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स अमर कंसट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 10 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 2,27,000/- सहित कुल आकार राशि रूपये 24,97,000/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, प्रशासकीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.20.02.14

क्रमांक 2025-26

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 1012

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1023 दिनांक 20-02-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 51 आजाद नगर के पास सुमतीनगर के मध्य म.नं. 50 के सामने उद्यान की कम्पाउण्डवाल एवं पाथ-वे का सीमेन्ट कांकीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. एस.ई./उद्यान 1315 दिनांक 20-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,74,000/- की प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 2029-30  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 20.2.14

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों के पौधो एवं लॉनग्रास की वार्षिक दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1316 दिनांक 19.02.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण सुधार एवं सौंदर्यीकरण तथा खुली शासकीय भूमि को भविष्य के अतिक्रमण से बचाने हेतु अधिक से अधिक उद्यानों का विकास एवं उनमें वृक्षारोपण कर हरियाली विकसित किये जाने हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार पौधें क्रय करने हेतु वार्षिक दर निर्धारण करने के लिए निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक. 20.2.14

क्रमांक 2031-32

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1025 दिनांक 20-02-2014

शहर के प्रमुख तीन स्थान मेघदूत उपवन, नेहरूपार्क, एवं प्राणी संग्रहालय में सार्वजनिक नलकूप खनन कर सोलर पम्प स्थापित करने संबंधी कार्य की निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 19-02-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 35,72,323/- की प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2033-34  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1026 दिनांक 20-02-2014

शहर मे जनहित एवं राजस्व वृद्धि हेतु मेडिकल रिटेल चेन की स्थापना के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय दिनांक 06.12.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त मेडिकल रिटेल चेन की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। मार्केट शाखा (राजस्व) नियमानुसार सभी बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण कर दुकानों के निर्माण हेतु स्थल का चयन कर विधिवत सक्षम स्वीकृति हेतु आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2035-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर



मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1027 दिनांक 20-02-2014

सभी नगरीय निकायों के एकीकृत कम्प्यूटरीकरण हेतु ई-नगर पालिका परियोजना के तहत शासन द्वारा टेंडर आमंत्रित किये जाने के क्रम में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने एवं निगम स्तर पर इसके क्रियान्वयन होने तक मेसर्स एलबीज सिस्टम प्रा.लि. के साथ अनुबंध अवधि में वृद्धि करने बावत आयुक्त का पत्र क्रमांक 508/आई.टी./14 दिनांक 07-01-2014 एवं समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को एक समान प्लेटफार्म उपलब्ध कराने तथा निकाय स्तर से किये जाने वाले एकल प्रयासों को रोकने हेतु ई-नगर पालिका परियोजना की शासन स्तर से टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने एवं नगर निगम स्तर पर इसके क्रियान्वयन होने तक मेसर्स एलबीज के साथ किये गये अनुबंध अवधि में की गई अवधि वृद्धि की स्वीकृति / पुष्टि की जाती है। निगम स्तर पर गठित समिति की राय अनुसार शासन स्तर से यदि समयावधि में टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो शासन को अवगत कराते हुए निगम स्तर से टेण्डर जारी किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2037-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1028 दिनांक 20-02-2014

विभिन्न वार्डों में बनाये गये नवनिर्मित उद्यानों का उन्नयन किये गये हैं, इन उद्यानों की व्यवस्था /संधारण हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था करने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा में उपायुक्त उद्यान द्वारा बताया गया कि विगत दिनों में लगभग 150 से अधिक उद्यानों का निर्माण अथवा पुराने उद्यानों का उन्नयन किया गया है, इन उद्यानों की व्यवस्था जैसे हरियाली, निंदाई, कटाई आदि कार्य एवं संधारण के लिये संबंधित क्षेत्रीय पार्श्वों एवं एम.आई.सी. सदस्यों द्वारा कर्मचारियों की मांग की जा रही है, उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वार्डों के उद्यानों की व्यवस्था/संधारण हेतु माली/श्रमिकों संख्या 40 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर निंतात अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधिश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 20 फरवरी 14 से दिनांक 31.7.14 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 20.2.14

क्रमांक 2039-40

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 1029 दिनांक 20.02.14

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री राजुवर्मा पता 28/2 चन्द्रभागा जूनी इंदौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,000/- (अक्षरी रू. दो हजार रू.)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " साईं प्रितमदास गोविंदराम अकेडमी " के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 2041-42

दिनांक 20.2.14

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

